उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी–1/ई–1/2026
दिनांक 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथिः 18.08.2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथिः 01.09.2026
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथिः 08.09.2026
अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि और समयः 15.09.2026 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर लें।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा– O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

नोट– (1) अभ्यर्थीगण ऑन–लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन–लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन–लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अंतिम तिथि के **सायं 5.00 बजे** तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों–हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पर्ची को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(3) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग लिफाफे में अपने आवेदन–पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें, अन्यथा उक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(4) एक ही प्रकार के पद की स्थिति में एक लिफाफे में अभ्यर्थी एक ही आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें। एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि एक ही लिफाफे में प्रेषित करने पर उक्त आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(5) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पर्ची (Address Slip) लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगें।

1. ऑन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन ही करें।

ऑन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:–

आयोग की Website **https://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1- User Instructions
2- View Advertisement
3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन–लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण :– 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:– a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in**) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट **प्रिन्टर आइकन** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:– ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण– तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) (क) स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कापी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावो के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2– आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(I) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	–	आवेदन शुल्क रू 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 105/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	–	आवेदन शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 65/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी	–	आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	–	आवेदन शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग = रु0 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	–	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (एलोपैथी)

पद का नामः आचार्य, पदों की संख्या– 44, पद का स्वरूप– समूह 'क' राजपत्रित, **वेतनमान–** पे–मैट्रिक्स लेवल–14, **आयु सीमा–** 35 से 55 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है)।

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् हैः–

सामान्य चयन

क्र. सं.	आचार्य (प्रोफेसर) (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	ऑफ्थलमोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/1
2	इन्डोक्रिनोलॉजी (ह्यूमन मेटाबालिज्म)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/2
3	इमरजेन्सी मेडिसिन	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/3
4	एनाटॉमी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/4
5	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/5
6	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी (ई0एन0टी0)	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/6
7	कम्यूनिटी मेडिसिन	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/7
8	कार्डियक एनेस्थीसिया	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/8
9	कार्डियोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/9
10	जनरल मेडिसिन	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/10
11	जनरल सर्जरी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8/11

12	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन (टी0बी0 एण्ड चेस्ट)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 12
13	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	सेवा–8 / 13
14	डर्मेटोलॉजी, वैनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी (स्किन एण्ड वी0डी0)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 14
15	डेन्टिस्ट्री	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	सेवा–8 / 15
16	न्यूरोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	सेवा–8 / 16
17	न्यूरो सर्जरी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	सेवा–8 / 17
18	नेफ्रोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 18
19	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन (पी0एम0आर0)	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 19
20	फिजियोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 20
21	फोरेन्सिक मेडिसिन	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 21
22	माइक्रोबायालॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 22
23	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 23
24	यूरोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 24
25	रेडियो– डायग्नोसिस	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 25
26	सर्जिकल आंकोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 26
27	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी / बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 27

विशेष चयन

क्र. सं.	आचार्य (प्रोफेसर) (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	ऑर्थोपेडिक्स	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 28
2	ऑफ्थलमोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 29
3	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 30
4	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु जाति–01, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 31
5	जनरल मेडिसिन	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 32
6	जनरल सर्जरी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 33
7	पीडियाट्रिक्स	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु जाति–01, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	सेवा–8 / 34

शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों:–

क्र. सं.	आचार्य (प्रोफेसर) (स्पेशियलिटी)	शैक्षिक योग्यता एवं शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकतायें
1	आर्थोपेडिक्स	एम०एस० / डी०एन०बी० (आर्थोपेडिक्स) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
2	ऑफ्थलमोलॉजी	एम०एस० / एम०डी० / डी०एन०बी० (आप्थलमोलॉजी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
3	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0 (ऑब्स एण्ड गायनी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
4	एन्डोक्रिनोलॉजी (ह्यूमन मेटाबालिज्म)	डी०एम० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (एन्डोक्रिनोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक सम्बन्धित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	एम०डी० / डी०एन०बी० (इमरजेन्सी मेडिसिन) या एम०डी० / डी०एन०बी० (जनरल मेडिसिन) या एम०डी० / डी०एन०बी० (एनेस्थीसिया) या एम०डी० / डी०एन०बी० (रेस्परेटरी मेडिसिन) या एम०एस० / डी०एन०बी०(जनरल सर्जरी) या एम०एस० / डी०एन०बी० (आर्थोपेडिक्स) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर, या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट–1** कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा। **नोट–2** इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग में संकाय के रूप में नियुक्ति के लिये, जनरल सर्जरी या एनेस्थीसिया या रेस्पीरेटरी मेडिसिन या आर्थोपेडिक्स या जनरल मेडिसिन की ब्राड स्पेशियलिटी में पिछले शिक्षण अनुभव को गिना जायेगा और ऐसी नियुक्ति पर, नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर आयोग द्वारा निर्धारित फैकल्टी डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम या ट्रेनिंग पूरा करना होगा।
6	एनाटॉमी	एनाटॉमी में एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी या एम0एस0सी0 (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पी0एच0डी0 एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के

		रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
7	एनेस्थीसियोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०(एनेस्थीसियोलॉजी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
8	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी (ई0एन0टी0)	एम०एस०/डी०एन०बी०(ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
9	कम्युनिटी मेडिसिन	एम०डी०/डी०एन०बी०(कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम०डी० (कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
10	कार्डियक एनेस्थीसिया	(1) डी०एम०/ डी०एन०बी०/ डीआरएनबी (कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजी) अथवा **संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता** एम०डी०/डी०एन०बी०(एनेस्थीसिया) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। एवं (2) (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक सम्बन्धित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
11	कार्डियोलॉजी	डी०एम०/ डी०एन०बी०/ डीआरएनबी (कार्डियोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक सम्बन्धित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
12	जनरल मेडिसिन	एम०डी०/डी०एन०बी०(जनरल मेडिसिन) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
13	जनरल सर्जरी	एम०एस०/ डी०एन०बी०(जनरल सर्जरी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
14	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ पल्मोनरी मेडिसिन (टी0बी0 एण्ड चेस्ट)	एम०डी०/डी०एन०बी० (रेस्पिरेटरी मेडिसिन) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
15	ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन	एम०डी०/डी०एन०बी० (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) एवं ● किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में 03 साल के लिये संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर ● कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जायेगा, जो मिडलाइन, पबमेड सेन्ट्रल, सांइस साइटेशन इंडेक्स, सांइस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओजे) में अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं] ● एन0एम0सी0 द्वारा निर्दिष्ट संस्थान में चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम

		पूरा होना चाहिए। ● एन0एम0सी0 द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
16	डर्मेटोलॉजी, वैनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी (स्किन एण्ड वी0डी0)	एम०डी०/डी०एन०बी० (डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
17	डेन्टिस्ट्री	एम०डी०एस० एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में दन्त चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो, या (ii) मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा कालेज में चार वर्षों तक ऐसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर आयोग द्वारा नामित संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक होगा, और (iii) आयोग द्वारा नामित संस्थानो से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।
18	न्यूरोलॉजी	डी०एम० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (न्यूरोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
19	न्यूरो सर्जरी	एम०सी०एच०/डी०एन०बी०/डीआरएनबी (न्यूरोसर्जरी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हो और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
20	नेफ्रोलॉजी	डी०एम०/ डी०एन०बी०/डीआरएनबी(नेफ्रोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हो और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
21	पीडियाट्रिक्स	एम०डी०/ डी०एन०बी० (पीडियाट्रिक्स) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
22	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन	(1) एम०डी०/ डी०एन०बी० (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस०/एम०डी०/डी०एन०बी०(पी०एम०आर० में डिप्लोमा के साथ मेडिसिन) या एम०एस०/डी०एन०बी० (जनरल सर्जरी) या एम०एस०/डी०एन०बी० (आर्थोपेडिक्स) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। या (2) (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
23	फिजियोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०(फिजियोलॉजी) या एम०एस०सी० (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलोजी में पी०एच०डी० एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
24	फोरेन्सिक मेडिसिन	एम०डी०/ डी०एन०बी०(फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टाक्सिकोलॉजी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
25	माइक्रोबायोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०(माइक्रोबायोलॉजी) या एम0एस0सी0 (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी) के साथ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पी०एच०डी० एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर

		या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
26	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	डी०एम०/ डी०एन०बी०/डीआरएनबी (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
27	यूरोलॉजी	एम०सी०एच०/डी०एन०बी०/डीआरएनबी (यूरोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
28	रेडियो–डायग्नोसिस	एम०डी०/ डी०एन०बी० (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क)(i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। **नोट**– कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।
29	सर्जिकल आंकोलॉजी	एम0सी0एच0/डी0एन0बी0/डीआरएनबी (सर्जिकल आंकोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यकम पूर्ण किया हो।
30.	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी /बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	एम0सी0एच0/डी0एन0बी0/डीआरएनबी (प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यकम पूर्ण किया हो।

नोटः–

(1) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65–3–2021–78/99 टी०सी० दिनॉक 30.07.2021 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है।

(2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संशोधन अधिसूचना दिनाँक 02 जुलाई, 2025 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी जो निम्नवत हैः–

"In the department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to non-availability of medical teachers. 'the above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations."

(3) *राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु–7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होगाः–

(1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more.

(2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty.

(4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनाँक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु–18 ''समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएँ'' से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :–

Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty:

Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor:

Provided further that in the case of-

(a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty,

(b) United States of America and Canada,

(i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and

(ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty;

(c) Australia and New Zealand, -

(i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and

(ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty.

(5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time;

(6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super speciality department.

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)

2. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (एलोपैथी)

पद का नामः सहायक आचार्य, पदों की संख्या– 1112, पद का स्वरूप– समूह 'क' राजपत्रित, **वेतनमान**– पे–मैट्रिक्स लेवल–11, **आयु सीमा**– 26 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है।)

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् हैः–

सामान्य चयन

क्र. सं.	सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	आर्थोपेडिक्स	कुल–39, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–18, अनु0 जाति–08, अ0पि0वर्ग–10, ई0डब्ल्यू0एस0–03, क्षैतिज आरक्षणः महिला–07	एस–8/35
2.	आथ्लमोलॉजी	कुल–29, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–16, अनु0 जाति–06, अ0पि0वर्ग–5, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–05	एस–8/36
3.	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	कुल–65, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–30, अनु0 जाति–13, अनु0 जनजाति–01, अ0पि0वर्ग–15, ई0डब्ल्यू0एस0–06, क्षैतिज आरक्षणः डी0एफ0एफ0–01, महिला–13	एस–8/37
4.	ए0एन0एम0ओ0 कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल–10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–06, अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–02, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–02	एस–8/38
5.	एम0डब्ल्यू0ओ0 कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल–10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–05, अनु0 जाति–02, अ0पि0वर्ग–02, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–02	एस–8/39
6.	एन्डोक्राइन सर्जरी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/40
7.	एन्डोक्रिनोलॉजी (ह्यूमन मेटाबालिज्म)	कुल–07, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–05, अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/41
8.	इम्यूनो हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/42
9.	इमरजेन्सी मेडिसिन	कुल–35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–16, अनु0 जाति–07, अ0पि0वर्ग–09, ई0डब्ल्यू0एस0–03, क्षैतिज आरक्षणः महिला–07	एस–8/43
10.	एनाटॉमी	कुल–18, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–13, अनु0 जाति–03, अ0पि0वर्ग–01 , ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/44
11.	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल–90, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–46, अनु0 जाति–14, अनु0 जनजाति–01, अ0पि0वर्ग–20, ई0डब्ल्यू0एस0–09, क्षैतिज आरक्षणः डी0एफ0एफ0–01, महिला–18	एस–8/45
12.	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०)	कुल–24, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–13, अनु0 जाति–04, अ0पि0वर्ग–05, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–04	एस–8/46
13.	कम्युनिटीमेडिसिन	कुल–35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–21, अनु0 जाति–06, अ0पि0वर्ग–05, ई0डब्ल्यू0एस0–03, क्षैतिज आरक्षणः महिला–07	एस–8/47
14.	इपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/48
15.	एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (आर0एच0टी0सी0)	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित– 02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/49
16.	एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (यू0एच0टी0सी0)	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/50

17.	स्टेटिशियन कम सहायक आचार्य	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/51
18.	कार्डियक एनेस्थीसिया	कुल–11, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– , अनारक्षित–08, अ0पि0वर्ग–02, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–02	एस–8/52
19.	कार्डियक सर्जरी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/53
20.	कार्डियोलॉजी	कुल–08, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–07, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/54
21.	जनरल मेडिसिन	कुल–104, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–55, अनु0 जाति–13, अनु0 जनजाति–02, अ0पि0वर्ग–24, ई0डब्ल्यू0एस0–10, क्षैतिज आरक्षणः डी0एफ0एफ0–02, महिला–20	एस–8/55
22	जनरल सर्जरी	कुल–103, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–47, अनु0 जाति–18, अनु0 जनजाति–02, अ0पि0वर्ग–26, ई0डब्ल्यू0एस0–10, क्षैतिज आरक्षणः डी0एफ0एफ0–02, महिला–20	एस–8/56
23.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ पल्मोनरी मेडिसिन (टी0बी0 एण्ड चेस्ट)	कुल–16, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–08, अनु0 जाति–03, अ0पि0वर्ग–04, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/57
24	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण–, अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/58
25	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी (स्किन एण्ड वी0डी0)	कुल–17, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–10, अनु0 जाति–02, अ0पि0वर्ग–04, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/59
26	डेन्टिस्ट्री	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/60
27	आर्थोडोन्टिक्स (डेन्टिस्ट्री)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/61
28	मैक्सोफेसियल सर्जरी (डेन्टिस्ट्री)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/62
29	थोरेसिक सर्जरी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/63
30	न्यूक्लियर मेडिसिन	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/64
31	फिजिसिस्ट (न्यूक्लियर मेडिसिन)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/65
32	न्यूरो रेडियोलॉजी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/66
33	न्यूरोलॉजी	कुल–06, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–05, अनु0 जाति–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/67
34	न्यूरो सर्जरी	कुल–08, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–05, अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/68
35	एनेस्थीसिया (न्यूरोसर्जरी)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/69
36	नियोनेटोलॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/70
37	नेफ्रोलॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/71
38	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी/ बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	कुल–15, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– , अनारक्षित–10, अनु0 जाति–02, अ0पि0वर्ग–02, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/72
39	पल्मोनरी एण्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/73
40	पीडियाट्रिक्स	कुल–60, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–25, अनु0 जाति–12, अनु0 जनजाति–01, अ0पि0वर्ग–16, ई0डब्ल्यू0एस0–06, क्षैतिज आरक्षणः डी0एफ0एफ0–01, महिला–12	एस–8/74
41	पीडियाट्रिक्स आर्थोपेडिक्स	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/75
42	पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/76
43	पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/77
44	पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/78
45	पीडियाट्रिक यूरोसर्जरी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/79
46	पीडियाट्रिक सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/80
47	पीडियाट्रिक सर्जरी	कुल–04, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–04, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/81
48	पीडियाट्रिक हिमैटोआंकोलॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/82
49	पैथालॉजी	कुल–44, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–28, अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–11, ई0डब्ल्यू0एस0–04, क्षैतिज आरक्षणः महिला–08	एस–8/83
50	फार्माकोलॉजी	कुल–20, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–09, अनु0 जाति–04, अ0पि0वर्ग–05, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–04	एस–8/84
51	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन	कुल–16, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण–, अनारक्षित–09, अनु0 जाति–02, अ0पि0वर्ग–04, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/85
52	फिजियोलॉजी	कुल–17, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–14, अनु0 जाति–02, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/86
53	फोरेन्सिक मेडिसिन	कुल–20, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–10, अनु0 जाति–04, अ0पि0वर्ग–04, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–04	एस–8/87
54	बायोकेमिस्ट्री	कुल–19, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–13, अ0पि0वर्ग–05, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–03	एस–8/88
55	माइक्रोबायोलॉजी	कुल–27, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–13, अनु0 जाति–05, अ0पि0वर्ग–07, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–05	एस–8/89
56	मेडिकल आंकोलॉजी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/90
57	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	कुल–05, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–04, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/91
58	यूरोलॉजी	कुल–11, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–08, अनु0 जाति–02, ई0डब्ल्यू0एस0–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–02	एस–8/92
59	रूमैटोलॉजी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/93
60	रेडियो– डायग्नोसिस	कुल–33, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–19, अनु0 जाति–05, अ0पि0वर्ग–06, ई0डब्ल्यू0एस0–03, क्षैतिज आरक्षणः महिला–06	एस–8/94
61	फिजिसिस्ट (रेडियो–डायग्नोसिस)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/95
62	रेडियो–थेरेपी	कुल–22, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–12, अनु0 जाति–04, अ0पि0वर्ग–04, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–04	एस–8/96
63	फिजिसिस्ट (रेडियो–थेरेपी)	कुल–06, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–05, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/97
64	सर्जिकल आंकोलॉजी	कुल–05, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– , अनारक्षित–04, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/98
65	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	कुल–04, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–03, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य।	एस–8/99
66	साइकियाट्री	कुल–20, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनारक्षित–10, अनु0 जाति–03, अ0पि0वर्ग–05, ई0डब्ल्यू0एस0–02, क्षैतिज आरक्षणः महिला–04	एस–8/100

विशेष चयन

क्र. सं.	सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	आर्थोपेडिक्स	कुल–10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–02, अनु0 जनजाति–02, अ0पि0वर्ग–06, क्षैतिज आरक्षणः महिला–02	एस–8/101
2.	आथ्लमोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/102
3.	आबस्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/103
4.	ए0एन0एम0ओ0 कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/104
5.	एम0डब्ल्यू0ओ0 कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/105
6.	इम्यूनो हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक)	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/106
7.	एनाटॉमी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/107
8.	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/108
9.	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/109
10.	इपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/110
11.	एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (आर0एच0टी0सी0)	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/111
12.	एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (यू0एच0टी0सी0)	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/112
13.	स्टेटिशियन कम सहायक आचार्य	कुल–07, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–03, अ0पि0वर्ग–04, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/113
14.	कार्डियो–वैस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– , अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/114
15.	जनरल मेडिसिन	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/115
16.	जनरल सर्जरी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/116
17.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ पल्मोनरी मेडिसिन (टी0बी0 एण्ड चेस्ट)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/117
18.	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण–, अनु0 जाति–01, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/118
19.	डेन्टिस्ट्री	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/119
20.	न्यूरो सर्जरी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–03, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/120
21.	नेफ्रोलॉजी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–02, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/121
22.	पीडियाट्रिक्स	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–02, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/122
23.	पैथालॉजी	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/123
24.	फार्माकोलॉजी	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/124
25.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण–, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/125
26.	फिजियोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/126

27.	बायोकेमिस्ट्री	कुल–03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/127
28.	माइक्रोबायोलॉजी	कुल–06, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–04, अनु0 जनजाति–01, अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः महिला–01	एस–8/128
29.	यूरोलॉजी	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/129
30.	रेडियो–डायग्नोसिस	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अनु0 जनजाति–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/130
31.	फिजिसिस्ट (रेडियो–थेरेपी)	कुल–01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–01, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/131
32.	साइकियाट्री	कुल–02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्याः लम्बवत् आरक्षण– अ0पि0वर्ग–02, क्षैतिज आरक्षणः शून्य	एस–8/132

शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों:–

क्र. सं.	सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी)	शैक्षिक योग्यता एवं शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकतायें
1.	आर्थोपेडिक्स	**एम.एस./डी.एन.बी.* (हड्डी रोग)** एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट–3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्ट्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
2.	आथ्लमोलॉजी	**एम.एस./एम.डी./डी.एन.बी.*** (आथ्लमोलॉजी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट–3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्ट्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
3.	आबस्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	**एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.*** (ऑब्स एण्ड गायनी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट–3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्ट्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
4.	ए0एन0एम0ओ0 कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	**एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.*** (ऑब्स एण्ड गायनी) **एवं** (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट–3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्ट्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
5.	एम0डब्ल्यू0ओ0 कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	**एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.*** (ऑब्स एण्ड गायनी) **एवं** (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विशय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट–3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्ट्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
6.	एन्डोक्राइन सर्जरी	(1) एम0सी0एच0 (एन्डोक्राइन सर्जरी) अथवा संक्रमणकाल के दौरान शैक्षणिक योग्यता **एम.एस./डी.एन.बी.*** (सामान्य सर्जरी)

		तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
7.	एन्डोक्रिनोलॉजी (ह्यूमन मेटाबालिज्म)	डी0एम0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (एन्डोक्राइनोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
8.	इम्यूनो हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक)	(1) एम०डी० / डी०एन०बी०* (इम्यूनो हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन) अथवा **संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता** एम0डी0 / डी0एन0बी0* (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) या एम0डी0 / डी0एन0बी0* (पैथालोजी) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढ़ाँचा और संकाय सदस्य हों. जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2)–(क) डिग्री प्राप्त करनें के बांद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव, नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
9.	इमरजेन्सी मेडिसिन	एम0डी0 / डी0एन0बी0*(इमरजेन्सी मेडिसिन) या एम0डी0 / डी0एन0बी0*(जनरल मेडिसिन) या एम0डी0 / डी0एन0बी0* (एनेस्थीसिया) या एम0डी0 / डी0एन0बी0* (रेस्परेटरी मेडिसिन) या एम0एस0 / डी0एन0बी0*(जनरल सर्जरी) या एम0एस0 / डी0एन0 बी0*(आर्थोपेडिक्स) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या
		(ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ड.) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो। नोट– इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग में संकाय के रूप में नियुक्ति के लिये, जनरल सर्जरी या एनेस्थीसिया या रेस्पीरेटरी मेडिसिन या आर्थोपेडिक्स या जनरल मेडिसिन की ब्राड स्पेशियलिटी में पिछले शिक्षण अनुभव को गिना जायेगा और ऐसी नियुक्ति पर, नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर आयोग द्वारा निर्धारित फैकल्टी डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम या ट्रेनिंग पूरा करना होगा।
10.	एनाटॉमी	**एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी*(एनाटॉमी) या एम0एस0सी0 (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पी0एच0डी0** **एवं** (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट–3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्ट्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
11.	एनेस्थीसियोलॉजी	एम0डी0 / डी0एन0बी0* (एनेस्थीसियोलॉजी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन दिनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में, अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
12.	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी (ई0एन0टी0)	एम0एस0 / डी0एन0बी0*(ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी

		चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
13.	कम्युनिटी मेडिसिन	एम0डी0 / डी0एन0बी0*(कम्युनिटी मेडिसिन) या एम0डी0 (कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
14.	इपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	एम0पी0एच0 (मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इपीडेमोलोजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम0डी0 / डी0एन0बी0*(कम्युनिटी मेडिसिन) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। 2–(क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव, नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियनों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या
15.	एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (आर0एच0टी0सी0)	एम0डी0 / डी0एन0बी0*(कम्युनिटी मेडिसिन) या एम0डी0(कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष. के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यकम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
16.	एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (यू0एच0टी0सी0)	एम0डी0 / डी0एन0बी0*(कम्युनिटी मेडिसिन) या एम0डी0 (कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यकम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
17.	स्टेटिशियन कम सहायक आचार्य	(क) हेल्थ स्टैटिस्टिक्स या मेडिकल स्टेटिस्टिक्स या बायो स्टेटिस्टिक्स या स्टेटिस्टिक्स में एम0एस0सी0 और (ख) पी0एच0डी0 की डिग्री
18.	कार्डियक एनेस्थीसिया	(1) डी0एम0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजी) अथवा **संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता** एम0डी0 / डी0एन0बी0*(एनेस्थीसिया) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या

		(ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
19.	कार्डियक सर्जरी	एम0सी0एच0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी*(कार्डियक सर्जरी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
20.	कार्डियोलॉजी	डी0एम0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (कार्डियोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
21.	कार्डियो–वैस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी	एम0सी0एच0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (कार्डियो–वैस्कुलर एण्ड थोरैसिक सर्जरी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
22.	जनरल मेडिसिन	एम0डी0 / डी0एन0बी0*(जनरल मेडिसिन) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा।
23.	जनरल सर्जरी	एम0एस0 / डी0एन0बी0*(जनरल सर्जरी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा।
24.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन (टी0बी0 एण्ड चेस्ट)	एम०डी० / डी0एन0बी0*(रेस्पिरेटरी मेडिसिन) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
25.	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	एम०डी० / डी०एन०बी०* (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) एवं डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव
26.	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी (स्किन एण्ड वी0डी0)	एम०डी० / डी०एन०बी०* (डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो. तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
27.	डेन्टिस्ट्री	एम०डी०एस० की डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल / डेण्टल कालेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट या रजिस्ट्रॉर या ट्यूटर या लेक्चरर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट–सहायक प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष के अनुभव को सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव के समतुल्य माना जायेगा।
28.	आर्थोडोन्टिक्स (डेन्टिस्ट्री)	आर्थोडोन्टिक्स विशिष्टता में एम०डी०एस० की डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल / डेण्टल कालेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट या रजिस्ट्रॉर या ट्यूटर या लेक्चरर के रूप में एक वर्ष का अनुमद। नोट– सहायक प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष के अनुभव को सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव के समतुल्य माना जायेगा।
29.	मैक्सोफेसियल सर्जरी (डेन्टिस्ट्री)	मैक्सोफेसियल सर्जरी विशिष्टता में एम०डी०एस० की डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल / डेण्टल कालेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट या रजिस्ट्रॉर या ट्यूटर या लेक्चरर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट– सहायक प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष के अनुभव को सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव के समतुल्य माना जायेगा।
30.	थोरेसिक सर्जरी	एम०सी०एच० (थोरेसिक सर्जरी) अथवा **संक्रमण काल के दौरान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता** एम०सी०एच० / डी०एन०बी०* कार्डियोथोरेसिक सर्जरी अथवा एम०एस० / डी०एन०बी०* जनरल सर्जरी के साथ उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केन्द्र में थोरेसिक सर्जरी विषय में 03 साल का विशेष प्रशिक्षण
31.	न्यूक्लियर मेडिसिन	(1) एम०डी० / डी०एन०बी०* (न्यूक्लीयर मेडिसिन) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्यूक्लीयर मेडिसिन में दो साल के अनुभव के साथ एम०डी० रेडियोथेरेपी या एम०डी० मेडिसिन के साथ डी०आर०एम० / डी०एन०एम० या एम०डी० रेडियोडायग्नोसिस के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्यूक्लीयर मेडिसिन में दो वर्ष का अनुभव या एम०डी० (बायोफिजिक्स) / बायोफिजिक्स में इसके समकक्ष योग्यता के साथ डी०आर०एम० / डी०एन०एम० / डी०एन०बी०* न्यूक्लीयर मेडिसिन के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में दो वर्ष का अनुभव। तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। एवं 2–(क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव

		नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
32.	फिजिसिस्ट (न्यूक्लियर मेडिसिन)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स/मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा, और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड–।। के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो।
33.	न्यूरो रेडियोलॉजी	(1) डी०एम० (न्यूरो–रेडियोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०* (रेडियोडायग्नोसिस) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
34.	न्यूरोलॉजी	डी०एम०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (न्यूरोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
35	न्यूरो सर्जरी	एम०सी०एच०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (न्यूरोसर्जरी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
36.	एनेस्थीसिया (न्यूरोसर्जरी)	एम०डी०/डी०एन०बी०* (एनेस्थीसियोलॉजी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यकम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
37.	नियोनेटोलॉजी	(1) डी०एम०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी*(नियोनेटोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०*(पीडियाट्रिक्स) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित्र बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हो, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
38.	नेफ्रोलॉजी	डी०एम०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी*(नेफ्रोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
39.	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी/बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	एम०सी०एच०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
40.	पल्मोनरी एण्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन	(1) डी०एम० (पल्मोनरी मेडिसिन) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०* रेस्पीरेटरी मेडिसिन या एम०डी०/डी०एन०बी०* जनरल मेडिसिन या एम०डी०/डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक्स तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में क़म से कम तीन वर्ष का अनुभव. जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जित्ते आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण क्रिया हो।
41.	पीडियाट्रिक्स	एम०डी०/ डी०एन०बी०* (पीडियाट्रिक्स) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले क्रिसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यकम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
42.	पीडियाट्रिक्स आर्थोपेडिक्स	(1) एम०एसी०एच० (पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस०/डी०एन०बी०* आर्थोपेडिक्स

		तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव. जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
43.	पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी	(1) डी०एम०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी*(पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/ डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक्स तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
44.	पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी	एम०सी०एच०/डी०एन०बी०* न्यूरो सर्जरी के साथ 01 वर्ष का पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में विशेष प्रशिक्षण या देश/विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में पी०डी०सी०सी० अथवा न्यूरोसर्जरी विभाग में दो वर्ष का अनुभव जिसमें से दो तिहाई कार्यकाल पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी का होना चाहिए तथा जिसका प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो वरीयानः– न्यूनतम दो शोध पत्र जिसमें न्यूनतम 01 पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के जर्नल में हो।
45.	पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में एम०सी०एच०/ डी०एन०बी०*
46.	पीडियाट्रिक यूरोसर्जरी	यूरोलॉजी में एम०सी०एच०/डी०एन०बी०* अथवा पीडियाट्रिक सर्जरी एम०सी०एच०/डी०एन०बी०* उपरोक्त के साथ 01 वर्ष का पीडियाट्रिक यूरोसर्जरी में विशेष प्रशिक्षण या देश/विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीडियाट्रिक यूरोसर्जरी में पी०डी०सी०सी० वरीयानः–दो शोध पत्र
47.	पीडियाट्रिक सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	पीडियाट्रिक सर्जरी में एम०सी०एच०/डी०एन०बी०* के साथ सर्जिकल गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी में एक वर्ष का प्रशिक्षण अथवा पीडियाट्रिक सर्जरी में एम०सी०एच०/ डी०एन०बी०* के साथ पीडियाट्रिक सर्जरी सेन्टर में पीडियाट्रिक एच०पी०बी० सर्जरी एवं कोरोरेक्टल सर्जरी में एक वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
48.	पीडियाट्रिक सर्जरी	एम०सी०एच०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी*(पीडियाट्रिक सर्जरी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
49.	पीडियाट्रिक (हिमैटोऑन्कोलॉजी)	डी०एम०(पीडियाट्रिक आंकोलॉजी/पीडियाट्रिक हिमैटोऑन्कोलॉजी)/एम०डी० पीडियाट्रिक्स के साथ डी०एम०/डी०एन०बी०* (क्लीनिकल हिमैटोलॉजी)/एम०डी० (पीडियाट्रिक्स) के साथ डी०एम०/डी०एन०बी०* (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) अथवा एम०डी०/डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पीडियाट्रिक हिमैटोऑन्कोलोजी में 02 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण अथवा एम०डी०/डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक्स के साथ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के पीडियाट्रिक विभाग में 03 वर्ष का अनुभव निम्न शर्तों के साथ– 1. युनिट हेड/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र जो संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित हो। 2. ऐसे अभ्यर्थी/संकाय सदस्य जिनके द्वारा 03 वर्ष के अनुभवकाल का दो तिहाई अवधि पीडियाट्रिक हिमैटोऑन्कोलॉजी में शैक्षिक एवं शोध कार्य किया हो (युनिट हेड अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित)। 3. पीडियाट्रिक हिमैटोऑन्कोलॉजी में शैक्षिक, शोध, क्लीनिकल सर्विस/पब्लिक हेल्थ इत्यादि का प्रमाण पत्र।
50.	पैथालॉजी	एम०डी०/ डी०एन०बी०*(पैथालॉजी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुमय नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या
		(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यकम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
51.	फार्माकोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०*(फार्माकोलॉजी) या एम०एस०सी० (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ मेडिकल फार्माकोलोजी में पी०एच०डी० एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट्र. के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यकम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
52.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन	(1) एम०डी०/ डी०एन०बी०* (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस०/एम०डी०/डी०एन०बी०* (पी०एम०आर० में डिप्लोमा के साथ मेडिसिन) या एम०एस०/डी०एन०बी०* (जनरल सर्जरी) या एम०एस०/डी०एन०बी०* (आर्थोपेडिक्स) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। 2–(क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव, नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा।

		या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
53.	फिजियोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०* (फिजियोलॉजी) या एम०एस०सी० (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलोजी में पी०एच०डी० एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो. तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
54.	फोरेन्सिक मेडिसिन	एम०डी०/ डी०एन०बी०*(फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टाक्सिकोलॉजी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास –संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा. धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करनें वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
55.	बायोकेमिस्ट्री	एम०डी०/डी०एन०बी०* (बायोकेमिस्ट्री) या एम०एस०सी० (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में पी०एच०डी० एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो।

		या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यकम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सां अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
56.	माइक्रोबायोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०* (माइक्रोबायोलॉजी) या एम0एस0सी0 (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी) के साथ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी में पी०एच०डी० एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
57.	मेडिकल आंकोलॉजी	(1) डी०एम०/ डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०* जनरल मेडिसिन या एम०डी०/डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक या एम०डी०/ डी०एन०बी०* रेडियेशन आंकोलॉजी तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग. या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नानित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
58.	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	डी०एम०/ डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
59.	यूरोलॉजी	एम०सी०एच०/ डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (यूरोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
60.	रूमैटोलॉजी	(1) डी०एम०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी एण्ड रूमैटोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०* जनरल मेडिसिन या एम०डी०/ डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक्स तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या

		युनिट संचालित करनें वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो
61.	रेडियो–डायग्नोसिस	एम०डी०/ डी०एन०बी०* (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क) डिग्री प्राप्त करनें के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता केप्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनें के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यकम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
62.	फिजिसिस्ट (रेडियो–डायग्नोसिस)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स/मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा, और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड–।। के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो।
63.	रेडियो–थेरेपी	रेडियोथेरेपी में एम०डी०/डी०एन०बी०* एवं डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव
64.	फिजिसिस्ट (रेडियो–थेरेपी)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स/मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड–।। के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो।
65.	सर्जिकल आंकोलॉजी	एम०सी०एच०/ डी०एन०बी०*/डीआरएनबी* (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
66.	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	(1) एम०सी०एच/ डी०एन०बी० */डीआरएनबी* (सर्जिकल गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस०/ डी०एन०बी०* जनरल सर्जरी तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होंने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
67.	साइकियाट्री	एम०डी०/डी०एन०बी०*(साइकियाट्री) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट–1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट–2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट–3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या

नोटः–

(1) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65–3–2021–78/99 टी०सी० दिनॉक 30.07.2021 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है।

(2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संशोधन अधिसूचना दिनाँक 02 जुलाई, 2025 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी जो निम्नवत हैः–

"In the department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to non-availability of medical teachers. 'the above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations."

(3) *राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु–7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होगाः–

(1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more.

(2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty.

(4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनाँक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु–18 ''समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएँ'' से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :–

Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty:

Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor:

Provided further that in the case of-

(a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty,

(b) United States of America and Canada,

(i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and

(ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty;

(c) Australia and New Zealand, -

(i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and

(ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty.

(5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time;

(6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super speciality department.

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)

नोटः– उपर्युक्त समस्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति/आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

2. कार्मिक अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–151–आयोग/47–का–4–2023/15/19/18, दिनांक 29.10.2025 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली–2025' तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हो गयी है। उक्त नियमावली के संगत प्राविधान निम्नवत् हैः–

(क) सीधी भर्ती से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, आयोग साक्षात्कार के लिये प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(ख) जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहाँ केवल ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिये हकदार होंगे।

(ग) अन्तिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 25 प्रतिशत अंक जोड़कर योग्यता अवधारित किया जायेगा।

(घ) स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो।

3. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग, द्वारा संचालित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगाः–

क्रम सं0	स्क्रीनिंग परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1.	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2.	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3.	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4.	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक

टिप्पणी– अधिमान की गणना हेतु कट–ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा।

4. स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगीः–

(a) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 अंक (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(b) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(c) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धी गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

2. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) **01 जुलाई, 2026** है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या–1648/79–5– 2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या– 1508/15–08–2015– 3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि. 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक उन्हें सेना से अवमुक्त होना आवश्यक है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

3. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु)**:– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा/चयन के लिये शासनादेश संख्या– 22/10/1976–कार्मिक–2–1985, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैंः– (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

4. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार–

(एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो. उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष का अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष का अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा परन्तु आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जाएगी।

(तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्ही अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो।

परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

5. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. मूल प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

7. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. अभ्यर्थी की पात्रता व अन्य के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

9. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो व्ज्ज्त्प के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ व्ज्ज्त्प से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

10. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल–प्रमाण–पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

10.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र।

10.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

10.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप–1 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

10.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या– 22/21/1983–का–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा।

10.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या– 22/16/92–टी.सी.–ण्ण्/का–2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

10.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। **ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।**

10.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/ 79–वि–1–15–1(क) 14–2015 दिनांक 07–04–2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

10.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

नोटः– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022, दिनांक–18 अप्रैल 2022 के बिन्दु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नही किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक– 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या– 18/1/99/का–2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या– 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (न्सजतं टपतमे) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

11. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

नोटः– उक्त बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में योजित स्पेशल अपील संख्या– 233/ 2026 भावना यादव व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व 02 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्थगनादेश पारित किया गया है।

12. चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/संगत विधियों/प्रभावी शासनादेशों/मा0 आयोग के निर्णयों के अनुमार की जायेगी।

13. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

14. आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि, O.T.R. तथा Application ID नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

15. अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

16. जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

17. कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस चयन तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024, दिनाँक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् चयन में लागू रहेंगे।

18. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण–पत्र फर्जी अथवा कूट रचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

19. अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के ''मेल बॉक्स'' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/department name and post name.

Personal Details from OTR

This section shows information about candidate's personal details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details.

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

- All Notifications/Advertisements

ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode

- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having any Objections
- Know your OTR number
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम . ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय– समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र
(प्रारुप–I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/ सुपुत्री ..... निवासी ..... . तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की .....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पूरा नाम .....

मुहर ..... पद नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... **दिनांक .....**

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री..... ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम .....
पदनाम .....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र <u>स्वयं घोषणा पत्र</u>

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू. ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।**

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रमाण–पत्र
(दिव्यांगजन प्रारूप)
Form-II
Certificate of Disability
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age ____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:
- n locomotor disability
- n dwarfism
- n blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is_____

(A) he/she has _____% (in figure)_____percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her_____ (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her_____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	**Name and Seal of Member**	**Name and Seal of the Chairperson**

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) Member Medical Board with seal

(Dr.....) Member Medical Board with seal

(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age_____ years, male/ female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till ....

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/ she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagno sis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability Speech and Language disability Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... .... (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... निवासी ग्राम– ..... नगर– .... जिला– ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

स्थानः हस्ताक्षर .....

दिनांकः पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक

28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीड़ा/खेल– कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक ....से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/ खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

क्रमांकः

उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन विभाग

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री ..... पुत्र / पुत्री ..... श्री / श्रीमती ..... जिनकी जन्मतिथि ..... है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड..... जनपद.....में दिनांक.....से ..... तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया।

नोटः यह प्रमाण–पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है।

दिनांक : .....

.....

विशेष सचिव, नियोजन विभाग

सचिव